न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 123/2017 **दायरा दिनांक : 04.09.2017**

उनवान

1— नारायण आत्मज जालम, जाति गूर्जर, निवासी ताल, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

2— सुन्दर बाई बेवा जालम, जाति गूर्जर, निवासी ताल, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड (डिलीट)

3— श्रीमती मांगी बाई पुत्री जालम, जाति गूर्जर, निवासी ताल, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— बापू लाल आत्मज पन्ना जी, जाति माली, निवासी ताल, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड

2— राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पचपहाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री रमेश सोनी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री के एल रावल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 22.10.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 113/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने अपीलांट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कर यह सहायता मांगी कि खसरा नम्बर 321 रकबा 11 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 320 रकबा 5 बिस्वा आराजी वाके ग्राम ताल जो सैटलमेंट से पूर्व उसके पिता पन्ना जी माली के खाते में थी जो सैटलमेंट ने गलती से अपीलांट्स के खाते में दर्ज कर दी । इस आराजी पर रेस्पोडेंट का कब्जा उसके पिता के समय से ही चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स का जवाबदावा पेश होने से पूर्व ही राजस्व लोक अदालत में डिक्री कर दिया जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री न्याय, विधान व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को जवाबदेही का मौका दिये बगैर ही तत्परता से निर्णय करने में भूल की है । अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में बिना राजीनामा दोनों पक्षों के बीच हुए निर्णय पारित कर दिया । विवादित आराजी सैटलमेंट से पूर्व के खसरा नम्बर 210 व 212/378 अपीलांट के खाते में दर्ज रही है जिसे बाद सैटलमेंट अपीलांट के पिता के खाते में दर्ज किये गये हैं इसमें सैटलमेंट अधिकारियों की कोई त्रुटि नहीं हुई है । अधीनस्थ न्यायालय ने मिलान क्षेत्रफल का समुचित अध्ययन नहीं कर त्रुटि की है ।साबिक खसरा नम्बर 210 मिन व 216/378 मिन कई खातेदारान के खाते में कई खातेदारान के खाते में दर्ज हुए हैं, उन्हें पार्टी बनाये वगैर रेस्पोडेंट ने आवश्यक पक्षकारान को पार्टी बनाये दावा करने की भूल की है । दावे में आवश्यक पक्षकारान की मौजूदगी का नुक्स रहा है जिससे निर्णय कानून सम्मत नहीं रहा है और निरस्त होने योग्य है । वादग्रस्त आराजी अपीलांट के तथा उससे पूर्व उनके पिता जालम जी

आत्मज डूंगर गूर्जर के कब्जे काश्त में थी । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना प्रकरण की अन्वीक्षा किये निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2017 अपास्त की जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है जबकि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है, इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.07.2017 अपास्त की जाती है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर अधिकतम तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.01.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा